

## विद्यार्थियों के लिए निर्देश :-

1. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निम्न की पालना आवश्यक है :-
  - (i) नियमित/पूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना पत्र सम्बन्धित प्राचार्य से अग्रेषित (Forward) कराना आवश्यक है।
  - (ii) नियमित/पूर्व विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र के साथ अन्तिम कक्षा की उत्तीर्ण की सत्यापित अंकतालिका संलग्न करें। यदि ये विद्यार्थी डिग्री पूर्ण कर ली अथवा डिग्री को अधुरी छोड़ कर अन्यत्र अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें टी.सी. की सत्यापित प्रतिलिपी संलग्न करना आवश्यक है।
  - (iii) स्वयंपाठी छात्रों को भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ अन्तिम कक्षा की सत्यापित अंकतालिका संलग्न करना आवश्यक है।
  - (vi) परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जारी नहीं होगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी आवेदन नहीं करें।
2. नियमित/पूर्व विद्यार्थियों को डूप्लीकेट अंकतालिका/प्रोविजनल सर्टिफिकेट/मेरिट सर्टिफिकेट के प्रार्थना पत्र महाविद्यालय से अग्रेषित कराना आवश्यक है।
3. प्रोविजनल डिग्री व मेरिट सर्टिफिकेट के प्रार्थना पत्रों के साथ अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. महिला विद्यार्थी का मूल दस्तावेज (अंक तालिका / प्रमाण-पत्र) किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जावेगा जब तक कि सन्तोषजनक साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं।